

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

माध्यमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2016

जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के विषयवार एवं कोटिवार संशोधित पद का विवरण

क्र.स.	कोटि	विषय											कुल	
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	विज्ञान	गणित	सामाजिक विज्ञान	शारीरिक शिक्षा	उर्दू	संगीत	नृत्य	ललित कला		बंगला
1	अनुसूचित जाति	16	21	21	25	32	8	1	4	1	1	0	0	131
2	अनुसूचित जाति (महिला)	7	7	5	4	5	2	1	1	0	0	0	0	32
3	अनुसूचित जनजाति	2	2	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	11
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	15	15	17	11	14	1	2	4	1	2	1	0	83
6	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	7	6	4	6	1	0	1	0	0	0	0	33
7	पिछड़ा वर्ग	10	10	9	5	8	0	1	4	1	1	0	0	49
8	पिछड़ा वर्ग (महिला)	4	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	18
9	पिछड़े वर्ग की महिला	4	4	5	2	6	0	0	1	0	0	0	0	22
10	अनारक्षित	25	27	8	0	2	2	4	3	11	5	3	0	90
11	अनारक्षित (महिला)	14	15	5	0	2	1	3	2	0	0	0	0	42
	कुल	105	113	82	53	79	17	13	20	15	9	5	0	511
1	दृष्टि बाधित विकलांग	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	7
2	श्रवण बाधित विकलांग	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	7
3	अस्थि बाधित विकलांग	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	कुल	3	3	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	18

नोट 1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-62 दिनांक- 05.01.2007 के आलोक में विकलांग उम्मीदवारों के लिए तीन प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का लाभ देय है।

2. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -2342 दिनांक 15.02.16 के आलोक में सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर रिक्ति के अनुरूप महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी रोस्टर बिन्दु के अनुसार कोटिवार दिया गया है।

3. सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 2524 दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी की नियुक्ति में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु 50 तक व्यवहृत हो रहा हो तो एक अस्थिर्था का चयन तथा रोस्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो तो दो अस्थिर्थाओं का चयन (जिस कोटि के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होंगे उसी कोटि के रोस्टर बिन्दु पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ देते हुए) किया जायेगा।

4. विभागीय निर्देशानुसार रोस्टर एवं रिक्ति में संशोधन संभावित है।

5. संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय में प्रथम समव्यवहार का नियोजन हो गया है द्वितीय समव्यवहार की प्रक्रियाधीन है अतएव रोस्टर यथावत रखा गया है।

6. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सामाजिक विज्ञान में एक पद अनारक्षित एवं एक पद पिछड़ा वर्ग की कोटि में नियोजन होने के कारण सामाजिक विज्ञान के रिक्ति संशोधित किया गया है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), मुजफ्फरपुर

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर